शासनादेश में संशोधन

संख्याः- 53 /2021/2774 /छिहत्तर-1-2021

ई-फाइल सं0-76-1099/165/2021-1

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1. लखनऊ : दिनांक 05 अक्टूबर, 2021

विषयः- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-51/2021/1883/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 06 अगस्त, 2021 एवं उक्त के क्रम में निर्गत संशोधित शासनादेश संख्या-2729/2021/2650/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 28 सितम्बर, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के परीक्षण एवं स्वीकृति के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा- निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उक्त सन्दर्भित संशोधित शासनादेश दिनांक 28 सितम्बर, 2021 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या- (1) को एतदद्वारा निम्नानुसार संशोधित करते हुए निम्नलिखित तालिका के कालम-4 के अनुसार पढा जाय :-

क्रम सख्या	शासनादेश दिनांक 06 अगस्त, 2021 के प्रस्तर-2 में दी गई व्यवस्था	शासनादेश दिनांक 28 सितम्बर, 2021 के प्रस्तर-2 में दी गई व्यवस्था	यथासंशोधित व्यवस्था
1	2	3	4
1	प्रस्तर-2(1) भारत सरकार द्वारा जारी जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति घर को औसतन 5 व्यक्ति का मानते हुये प्रति FHTC लागत का विवरण दिया गया है। दिशा-निर्देशों के अनुसार जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा एवं गुणता का भूजल उपलब्ध है, उन क्षेत्रों के लिये एकल ग्राम पेयजल योजना के लिये प्रति FHTC लागत रु 15,000.00, ऐसे क्षेत्र जहां शोधन की आवश्यकता है या पहाड़ी क्षेत्र हेतु प्रति FHTC लागत रु 25,000.00, बहुल ग्राम योजना के लिये प्रति FHTC लागत रु 47,000.00 तथा ऐसे पृथक क्षेत्र, जिनकी आबादी बहुत कम है या जनजातीय बस्तियां, जहाँ पर मिनी सोलर आधारित पाइप पेयजल योजनायें विरचित की जानी है, के लिये प्रति FHTC रु 7,00,000.00 निर्धारित है। उक्त के दृष्टिगत योजनाओं का	भारत सरकार द्वारा जारी जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति घर को औसतन 5 व्यक्ति का मानते हुए जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा एवं गुणता का भूजल उपलब्ध है, उन क्षेत्रों के लिए एकल ग्राम पेयजल योजना के लिए प्रति FHTC औसत लागत रु 15,000.00, ऐसे क्षेत्र जहां शोधन की आवश्यकता है या पहाडी -क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के लिए एकल ग्राम पेयजल योजना	भारत सरकार द्वारा जारी जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति घर को औसतन 5 व्यक्ति का मानते हुए प्रति FHTC लागत का विवरण दिया गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा एवं गुणता का भूजल उपलब्ध है, उन क्षेत्रों के लिए एकल ग्राम पेयजल योजना के लिए प्रति FHTC औसत लागत रु 15,000.00 दी गयी है। प्रदेश के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों में औसतन 2.5 बस्तियाँ है। कतिपय ग्रामों में बस्तियों की संख्या बहुत अधिक है तथा यह बस्तियाँ दूर दूर स्थित है। अधिकाश योजनाएं सोलर आधारित है एवं इनमें आटोमेशन सिस्टम (स्काडा सिस्टम) का प्राविधान किया जाना है। अतः यदि किसी एकल ग्राम योजना में प्रति FHTC लागत औसत रू0 15,000.00 से अधिक है परन्तु योजना की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6,000.00 से कम है, जो इसकी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। ऐसे क्षेत्र जहां शोधन की आवश्यकता है या पहाडी

	परीक्षण कराया जाये। परन्तु यदि किसी योजना विशेष में प्रति FHTC लागत अधिक आती है, तो उसका परीक्षण जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के स्तर से करते हुये कारणों सहित स्वीकृति /संस्तुति की जाये। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के आंकलन के अनुसार योजनाओं की प्रति व्यक्ति कार्य लागत डिजाइन वर्ष के लिये जनपद का औसत रूपये 6,000.00 से कम होने की स्थिति सामान्यत: स्वीकार्य होनी चाहिए, परन्तु यदि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किसी योजना विशेष की प्रति व्यक्ति लागत रु 7,000.00 से अधिक आती है, भले ही जनपद की औसत लागत रु 6,000.00 प्रति व्यक्ति से कम हो, तो इसका परीक्षण जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा करते हुये कारणों का स्पष्ट उल्लेख प्रतिवेदन में किया जाये।इसी प्रकार जनपद की परिस्थितियों के अनुसार जनपद की औसत लागत रू0 6,000.00 से ज्यादा होने की दशा में भी सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण व जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा परीक्षण करने व कारणों का स्पष्ट उल्लेख करने के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।	हेतु प्रति FHTC औसत लागत रु 25,000.00, बहुल ग्राम योजना के लिए प्रति FHTC औसत लागत रु 47,000.00 तथा ऐसे पृथक क्षेत्र जिनकी आबादी बहुत कम है या जनजातीय बस्तियां, जहां पर मिनी सोलर आधारित पाइप पेयजल योजनाएं विरचित की जाती है, के लिए प्रति योजना रु 7,00,000.00 निर्धारित है। उक्त के दृष्टिगत योजनाओं का परीक्षण कराया जाये। परन्तु यदि किसी योजना विशेष में प्रति FHTC लागत अधिक आती है, तो उसका परीक्षण जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के स्तर से करते हुए कारणों सहित स्वीकृति / संस्तुति की जाए।	क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के लिए एकल ग्राम पेयजल योजना हेतु प्रति FHTC औसत लागत रु 25,000.00 बहुल ग्राम योजना के लिए प्रति FHTC औसत लागत रु 47,000.00 तथा ऐसे पृथक क्षेत्र जिनकी आबादी बहुत कम है या जनजातीय बस्तियां , जहां पर मिनी सोलर आधारित पाइप पेयजल योजनाएं विरचित की जाती है, के लिए प्रति योजना रु 7,00,000.00 निर्धारित है। उक्त के दृष्टिगत योजनाओं का परीक्षण कराया जाये। परन्तु यदि किसी योजना विशेष में प्रति FHTC लागत अधिक आती है, तो उसका परीक्षण जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के स्तर से करते हुए कारणों सहित स्वीकृति / संस्तुति की जाए। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के आंकलन के अनुसार योजनाओं की प्रतिव्यक्ति कार्यलागत डिजाइन वर्ष के लिए जनपद का औसत रु 6,000.00 प्रति व्यक्ति से कम हो, तो इसका परीक्षण जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा करते हुए कारणों का स्पष्ट उल्लेख प्रतिवेदन में किया जाय। इसी प्रकार जनपद की परिस्थितियों के अनुसार जनपद की औसत लागत रू0 6,000.00 से ज्यादा होने की दशा में भी सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण व जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा परीक्षण करने व कारणों का स्पष्ट उल्लेख करने के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

3- उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-51/2021/1883/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 06-08-2021 एवं शासनादेश संख्या-2729/2021/2650/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4- शासनादेश दिनांक 06-08-2021 की शेष व्यवस्था यथावत रहेंगी।

भवदीय,

Signed by अनुराग श्रीवास्तव
Date: 05-10-2021 13:54:09
Reason: Approved

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

संख्या- 53 /2021/2774(1)/छिहत्तर-1-2021 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
4- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एव स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
उप सचिव